

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 01/स्था.(एम.ए.सी.पी.)-18-09/2014...../रॉची, दिनांक/

-: आदेश :-

विभागीय अधिसूचना संख्या-1290, दिनांक 24.03.2006 द्वारा श्री राज रंजन कुमार, कार्यपालक अभियंता को दिनांक 09.08.99 से प्रथम ए.सी.पी. एवं दिनांक 05.02.2003 से द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या-1092 दिनांक 07.02.2014 द्वारा इसकी सम्पुष्टि की गयी है।

श्री राज रंजन कुमार के मामले की समीक्षा के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि श्री कुमार का दिनांक 11.07.2001 से दिनांक 21.03.2002 तक की अवधि का विनियमितीकरण नहीं हुआ है, अर्थात् यह अवधि सेवा में टूट है।

दिनांक 11.07.2001 से 21.03.2002 तक की अवधि सेवा में टूट रहने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-1290 दिनांक 24.03.2006 से श्री कुमार को स्वीकृत द्वितीय ए.सी.पी. को निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की प्रति श्री राज रंजन कुमार, कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करा दिया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की प्रति विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

ह./-

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

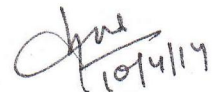
ज्ञापांक :-

3087

रॉची, दिनांक :-

10-4-14

प्रतिलिपि:- सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ श्री राज रंजन कुमार, कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची/ संबंधित कोषागार/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02 एवं 08 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

9-4-14